भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

राजस्व विभाग

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 4408

(जिसका उत्तर मंगलवार, 11 अप्रैल, 2017/21 चैत्र, 1939 (शक) को दिया जाना है)

राष्ट्रीय पेंशन योजना पर कर

4408. श्रीमती रेणुका चौधरी

डा. प्रदीप कुमार बालमुचू:

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राष्ट्रीय पेंशन योजना से आहरण करने पर 60 प्रतिशत तक कर लगाया जाता है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ख) सरकार द्वारा भविष्य निधि की तुलना में राष्ट्रीय पेंशन योजना से आहरण पर समानता लाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं चूंकि सरकार द्वारा दोनों को एक दूसरे का विकल्प बताया गया है?

उत्तर

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार)

(क) जी हां, यह प्रावधान आयकर अधिनियम, 1961 (इस अधिनियम) में किया गया है जोकि वित्त अधिनियम, 2016 के द्वारा इस अधिनियम की धारा 10 में एक उपवाक्य (12क) को जोड़कर किया गया है।

(ख) वित्त अधिनियम, 2016 के पहले राष्ट्रीय पेंशन योजना (एनपीएस), जोकि धारा 80गगघ में संदर्भित है, छूट, छूट एवं कर (ईईटी) व्यवस्था के अंतर्गत थी अर्थात पेंशन के संकलन के चरण के दौरान मासिक/आवधिक अंशदानों को आयकर के उद्देश्य से आय में से घटाए जाने के लिए अनुमति थी; संकलन चरण के दौरान इन अंशदानों से अर्जित लाभ को भी कर से छूट प्राप्त थी लेकिन निवृत होने या अधिवर्षिता के समय होने वाले अंतिम लाभ, जोकि एकमुश्त राशि की निकासी के रूप में होते हैं, पर उस व्यक्ति जिसने अंशदान किया अथवा उसके नामित व्यक्ति के संबंध में ऐसी धनराशि प्राप्त होने के वर्ष में कर लगाया जाता था। यह व्यवस्था पीपीएफ और ईपीएफ से भिन्न है जिनको कि ईईई व्यवस्था अर्थात छूट, छूट, छूट का लाभ मिल रहा है।

पेंशन योजनाओं से होने वाली प्राप्तियों पर लगने वाले कर को तर्कसंगत बनाने के लिए वित्त अधिनियम, 2016 के द्वारा इस अधिनियम की धारा 10 में संशोधन किया गया था ताकि यह व्यवस्था हो सके कि राष्ट्रीय पेंशन योजना से किसी कर्मचारी को होने वाले किसी भी भुगतान, जोकि इसलिए हो रहा हो कि वह एनपीएस में अपना खाता बंद करना चाहता है या उससे अलग होना चाहता है, को कर से उस हद तक छूट होगी कि यह इस योजना में अपना खाता बंद होने या अलग होने के वक्त उसको भुगतान किए जाने वाली कुल राशि के 40 प्रतिशत से अधिक नहीं हो। इसके अलावा वित्त अधिनियम, 2017 के द्वारा आयकर अधिनियम की धारा 10 में इसलिए संशोधन किया गया है कि पेंशन कोष विनियामक एंव विकास प्राधिकार अधिनियम, 2013 में विनिर्दिष्ट दिशा-निर्देशों के अनुसार कर्मचारिओं द्वारा उनके एनपीएस खाते से की जाने वाली आंशिक निकासी (कर्मचारी के अंशदान के 25 प्रतिशत तक) को छूट दी जा सके।

•••••